

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

आ दे श

निदेशक पीएच चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग व अन्य

बनाम्

मैसर्स प्रमाण कंस्ट्रक्शन प्रा.लि.

एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या-972/2018

आदेश दिनांक

06.12.2019

माननीय न्यायाधिपति श्री प्रकाश गुप्ता

श्री भरत सैनी, अति. राजकीय अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थीगण
श्री सतीश चन्द्र मित्तल, अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थी

दोनों पक्षों के योग्य अधिवक्तागण को सुना गया। आक्षेपित निर्णय व पंचाट का अवलोकन एवं परिशीलन किया गया।

अपील इसी स्टेज पर अंतिम निस्तारण हेतु दिनांक 09.01.2020 को सूचीबद्ध की जावे।

अपीलार्थीगण द्वारा यदि एक माह की अवधि में मध्यस्थ द्वारा पारित पंचाट दिनांक 30.11.2009 की 50% राशि न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम-6, जयपुर महानगर, जयपुर में जमा करा दी जाती है तो आगामी आदेश तक आक्षेपित निर्णय व पंचाट की क्रियान्विति/निष्पादन की कार्यवाही स्थगित रहेगी।

अपीलार्थीगण द्वारा उपरोक्तानुसार राशि जमा करा दिए जाने पर अपर जिला न्यायाधीश क्रम-6, जयपुर महानगर, जयपुर द्वारा उक्त राशि का वितरण नियमानुसार क्लेमेंट/प्रत्यर्थी को किया जावेगा।

(न्या.प्रकाश गुप्ता)

एमसीएस
M-2

सत्यमेव जयते